PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Friday 4th April 2014, Page: 11
Width: 8.43 cms, Height: 7.40 cms, a4, Ref: pmin.2014-04-04.54.147

एफडीसी दवाओं का लाइसेंस होगा रद्द

महेंद्र सिंह | नई दिल्ली

केंद्र सरकार फिक्स डोज कांबीनेशन (एफडीसी) वाली कुछ दवाओं के लाइसेंस वापस ले सकती है। इसके लिए गठित किए गए एक्सपर्ट पैनल का मानना है कि राज्य स्तर पर कई ऐसी एफडीसी को लाइसेंस जारी किए गए हैं जो ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई) के नियमों पर खरी नहीं उतरती हैं। दो या इससे अधिक दवाओं को मिला कर एक टैबलेट बनाने की प्रक्रिया को फिक्स डोज कांबीनेशन कहते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिजनेस भास्कर' को बताया कि बाजार में कई ऐसी एफडीसी दवाएं बिक रही हैं जिनके लिए लाइसेंस राज्य स्तर पर जारी किए गए थे। इस पर गठित किए गए एक्सपर्ट पैनल की राय है कि इन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं क्योंकि ये डीसीजीआई के मौजूदा मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत अब एफडीसी का लाइसेंस जारी करने का अधिकार सिर्फ डीसीजीआई के पास है।